ई–मेल / विशेष दूत

पत्र संख्या : 1/सी0–1003/2018–सा0प्र0– 8565

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना–15, दिनांक 27 जून, 2018

विषयः– चयन वर्ष, 2017 के लिए गैर–राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली,1954 के नियम–8(2) तथा भा0प्र0से0 (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के नियम–4 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–14015/30/2015–ए आई एस–I दिनांक 20.03.2015 के कार्यालय ज्ञापन के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में भा0प्र0से0 में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय होते हैं, जो (1) बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी नहीं है, (2) उत्कृष्ट योग्यता और गुण के हैं, (3) दिनांक 01.01.2017 (प्रथम जनवरी दो हजार सतरह ई0) को 56 वर्ष के नहीं हुए हों तथा (4) अधिष्ठाई हैसियत से राजपत्रित पद पर लगातार न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव रखते हों।

2. संदर्भित विचारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प, ज्ञापांक–1900, दिनांक 02.04.2012 (संकल्प में निहित वेतनमान का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन लेवल के अनुसार मान्य होगा) के आलोक में अपेक्षित होगी। इस हेतु 02 (दो) रिक्तियाँ भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं।

3. अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विषयगत राजपत्रित पदाधिकारियों में से *कंडिका–1 में विनिर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरुप* योग्यतम 02 (दो) पदाधिकारियों का चयन निम्नलिखित शर्त्तों, बंधेजों एवं औपचारिकताओं के अनुरूप पूर्ण करते हुए आवश्यक कागजातों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु विचारार्थ प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय:–

(क) प्रत्येक विभाग में एक चयन समिति गठित की जाय। इस चयन समिति के अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव/सचिव होंगे। उनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य रहेंगे जिनमें से एक, विभागीय प्रधान/सचिव द्वारा ही मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा दूसरे, उक्त विभाग के ही अधीन कोई विभागाध्यक्ष होंगे (यदि कोई हो तो) अन्यथा विभाग के ही कोई वरीय पदाधिकारी होंगे;

(ख) अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही *उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण/दक्षता* के हों तथा उनके विरूद्ध *प्रथमदृष्टया कोई आरोप प्रमाणित भी नहीं हो;*

(ग) पदाधिकारियों के पूर्ण एवं सुस्पष्ट *सेवा–इतिहास* (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों) के अलग पृष्ठ (Sheet) अनिवार्य रुप से संलग्न किये जायें;

(घ) उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की विवरणी–समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग सहित विवरणी, के अलग–अलग पन्ने संलग्न किये जायें, साथ ही अद्यतन एवं पूर्ण (तिथिशः पूर्ण) *मूल चरित्र–पुस्तियाँ/उन चरित्र पुस्तियों के सभी पृष्ठों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ* भी संलग्न की जायें। जिन तिथियों अथवा अवधि की गोपनीय अभ्युक्तियाँ/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यदि, प्रतिवेदक/ समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार में से किसी स्तर द्वारा अभिलेखित न हुआ हो या अल्पावधि के कारण अभिलेखित किया जाना आवश्यक न हो अथवा अभ्युक्तियाँ/प्रतिवेदन अनुपलब्ध हों, तब उनके अभिलिखित न होने/अनुपलब्ध होने के मान्य कारण का प्रमाण–पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी अवश्य संलग्न किये जायें;

(ङ) पदाधिकारियों के विरूद्ध लंबित विभागीय आरोप, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय के यहाँ मामला लंबित नहीं रहने का *स्पष्ट प्रमाण पत्र* (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी भेजे जाएँ ताकि संबंधित पदाधिकारियों की पूर्ण सत्यनिष्ठा सत्यापित की जा सके;

(च) पदाधिकारियों की पूर्व पदस्थापन विवरणी (वेतन मान सहित) सम्मिलित किया जाय;

(छ) पदाधिकारियों के मनोनयन उनके पैतृक विभागों द्वारा ही किये जायेंगे;

(ज) पात्रता के लिये निर्धारित भारत सरकार की शर्तों (जिनका उल्लेख उपर्युक्त कंडिका–1 एवं संलग्न संगत नियमावली की कंडिका–4 में है) के पूर्णतः अधीन रहते हुए विषयगत प्रयोजन से गठित की जाने वाली विभागीय समितियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व को भी दृष्टिगत करने का यथासंभव प्रयास भी किया जाय;

(झ) प्रशासी विभागों की चयन समिति की कार्यवाही की मूलप्रति एवं उसकी अभिप्रमाणित छाया प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किये जाने वाले मनोनयन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें। समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय तथा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि चयन समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर प्रशासी विभाग से प्राप्त अनुशंसाएँ किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होंगी।

4. कंडिका–3 में वर्णित शर्त्तों एवं बंधेजों के आलोक में अनुशंसा के साथ सभी आवश्यक सूचनायें एवं कागजात अनुबद्ध विहित प्रपत्र में संलग्न किए जायें। किसी सूचना/कागजात के अभाव में प्राप्त अनुशंसाएँ विचारणीय नहीं होंगी।

5. प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में अगर किसी पदाधिकारी को संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा अनुशंसित किया गया है, तो उनको पुनः अनुशंसित करने में यद्यपि प्रतिबन्ध नहीं है, यदि वे इस पत्र में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत आते हों । परन्तु, नये पदाधिकारियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आलोच्य विचारण–प्रक्रिया में वैसे पदाधिकारियों के नाम

पर विचार नहीं किया जाय, जो संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु दो बार उपस्थित हो चुके हों।

6. प्रासंगिक चयन प्रक्रिया को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करना होता है। प्रशासी विभागों द्वारा समर्पित की जाने वाली अनुशंसाओं की त्रुटियों के मार्जन में काफी समय व्यय हो जाता है, फलस्वरुप, प्रश्नगत पत्र व्यवहारों में व्यतीत होने वाले समय को न्यून करने की दृष्टि से आलोचय अनुशंसाएँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में एकल खिड़की विधि से प्राप्त की जायेंगी। **इस प्रक्रिया के तहत वांछित अनुशंसाएँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की प्रशाखा–01 में संबंधित प्रशासी विभागों की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी, जो प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर के हों, द्वारा प्राप्त करायी जायेंगी ताकि प्रासंगिक समर्पण की त्रुटियों का तत्क्षण/शीघ्रातिशीघ्र निराकरण संभव हो सके और आवश्यक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को ससमय भेजा जा सके।**

7. अनुरोध है कि विभागीय मनोनयन यथा वर्णित रीति से 20 जुलाई, 2018 तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में उपलब्ध कराने कृपा की जाय।

अनुलग्नक–

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 4900 दिनांक 02.04.2012 की प्रति।

(2) भा0प्र0से0(चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 की कंडिका–4 से संबंधित पृष्ठ।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 8559 दिनांक 27.06.2018 एवं संगत पाठ्यक्रम की प्रतियाँ।

(4) आवश्यक सभी प्रपत्र/जॉच पत्र/अभिलेख समर्पण– विवरणिका (8 पृष्ठों में)।

विश्वासभाजन,

27.6.18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/सी0–1003/2018–सा0प्र0– 8565/पटना–15, दिनांक 27 जून,2018

प्रतिलिपि:– विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड तथा परिपत्र एवं अधिसूचना में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.6.18

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक– 3/कृ० नि०(भा० प्र० से०)प्रो०–01/17 2748 /कृ0, पटना, दिनांक 18-07-2018

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0/अपर कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–8565 दिनांक–27.06.2018 (अनुलग्नक सहित) की प्रति के साथ विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गैर–राज्य असैनिक सेवा (बिहार कृषि सेवा) के पदाधिकारियों का चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन विहित प्रपत्र में इच्छित एवं योग्य पदाधिकारी अपना–अपना अभ्यावेदन पूर्ण विवरण के साथ दो दिनों के अंदर निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

18/7/18

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव,

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषयः— भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर—राज्य असैनिक सेवा के पदों को उपसमाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में।

माननीय कैट, (पटना पीठ), रांची द्वारा ओ0ए0 संख्या—221/01 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या—10616/2010 में पारित न्यायादेश में विषयगत विभागीय संकल्प संख्या—2178 दिनांक 21.04.2001 को निरस्त किये जाने के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैः—

1. उक्त संकल्प की कंडिका—1 के द्वितीय पारा में अंकित—

'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गो के 10,000—15,200/—रूपए के वेतनमान तथा उच्चतर वेतनमान वालें पदों पर कार्यरत् पदाधिकारियों के कर्त्तव्य तथा दायित्वों को देखते हुए इन वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा—4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के समकक्ष घोषित किया जाए। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम—से—कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने के विचार क्षेत्र में आ सकते हैं''

के स्थान पर

'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गो के 8,000—13,500/—रूपये का अपुनरीक्षित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान पे0 बैंड—3, रू0 15,600— 39,100+ग्रेड पे0—रू0 5,400/—) तथा उच्चतर वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा—4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के पदों के समकक्ष घोषित किया जाय। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम—से—कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने पर विचार क्षेत्र में आ सकते हैं''।

2. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

आदेशः— आदेश है कि सर्व—साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2.4.12

(आनन्द बिहारी प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1019/2011 (खंड—1)—सा0प्र0— 4900 /पटना, दिनांक : 2.4.12

प्रतिलिपि—अधीक्षक, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो प्रति एवं तत्संबंधी सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (प्रशाखा—1) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

2.4.12

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1019/2011 (खंड—1)—सा0प्र0— 4900 /पटना, दिनांक : 2.4.12

प्रतिलिपि—राज्यपाल के प्रधान सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारियों/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.4.12

सरकार के संयुक्त सचिव